

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(22)नविवि/ा/2021 पार्ट-03

जयपुर, दिनांक: 03 JUN 2022

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत श्री रामप्रसाद जाट, सहायक अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाडा (प्रतिनियुक्ति पर), मूल विभाग—जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नगर विकास न्यास, भीलवाडा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन अग्रिम आदेशों तक यथावत रखे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
6. श्री रामप्रसाद जाट, सहायक अभियन्ता द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
7. रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय